क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
07.01.2021	(see below)	

न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज।

मुटेशन अपील वाद सं0–08/2017–18

संजय कुमार यादव–बनाम–भरत यादव वगै0

–: अपीलार्थी :–

संजय कुमार यादव, पिता–स्व0 पशुपति यादव,
सा0–तालबन्ना, थाना–साहेबगंज(नगर),
जिला–साहेबगंज।

–: विपक्षी :–

भरत यादव, रामजी यादव, दिलीप यादव,
तीनों का पिता–स्व0 प्रयाग यादव, एवं
रामविलास यादव, रामप्रवेश यादव,
दोनों का पिता–स्व0 अयोध्या यादव,
सा0–तालबन्ना, थाना–साहेबगंज (नगर),
जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

यह अपील अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक–09.12.2017 को अंचलाधिकारी, साहेबगंज के मुटेशन वाद के आदेश तिथि–18.03.2017 के मुटेशन वाद सं0–671/2016–17 के विरूद्व दायर किया गया। अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर विलम्बक्षान्त हेतु आवेदन पर सुनने के पश्चात् विलम्बक्षान्त करते हुए अपीलवाद को अंगीकृत किया गया। उभय पक्ष को न्यायालय द्वारा नोटिश तामिला कराई गई एवं अंचलाधिकारी, साहेबगंज से उक्त मुटेशन वाद मूल अभिलेख की मांग की गई। अंचलाधिकारी, साहेबगंज ने पत्रांक–450/रा0, दिनांक–14.06.2019 द्वारा इस न्यायालय को याचित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया गया। मूल अभिलेख की प्राप्ति के उपरांत उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदित जमीन मौजा–शोभानपुर गंगा प्रसाद (असर्वेक्षित) जमाबंदी–469, रकवा –03–08–00 धुर जमीन अंचल अधिकारी के द्वारा आदेश में 18.03.2017 में स्पष्ट किया है कि आवेदित भूमि जो निबंधन केवाला सं0–3400, दिनांक–23.10.1959 के द्वारा आवेदक के पिता–स्व0 पशुपति यादव उर्फ गोप को बेच दिये है। वर्त्तमान में आवेदक क्रेता के पुत्र है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों वर्त्तमान में जीवित नहीं है। यह खरीद–बिक्री दर केवाला के आधार पर की गई है। संलग्न दर केवाला सं0–1245,दिनांक–10.05.1954 के द्वारा खरीद किया गया है, जिसका दाखिल खारिज नहीं कराया गया हैं। वर्त्तमान में क्रेता एवं विक्रेता जीवित नहीं है। जिस कारण से अनापति प्राप्त नहीं है।

क्रमांक एवं आदे�ा की तिथि 1	पदाधिकारी का आदे�ा और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
	अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत नोटिश में दिनांक–01.03.2017 को 16/आना रैयत–बनाम–क्रेता/विक्रेता को आपत्ति आवेदन हेतु दिनांक–18.03.2017 को अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति देने हेतु उपस्थित होने को कहा गया। जिसमें उक्त तिथि तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं। राजस्व कर्मचारी के द्वारा दिनांक–14.03.2017 को अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि क्रेतागण ने नीज से खरीदी गई जमीन केवाला सं0–3400, दिनांक–23.10.1959 के द्वारा आवेदक के पिता के पास बिक्री किया गया व पिता के इनका वारिसान आवेदक के ही दखल कब्जा में है। वर्णित भूमि गैरमजरूआ, आम खास, बंदोवस्ती, भूदान एवं भू–बंदी से मुक्त है। अतः आपत्ति के अभाव में आवेदित जमीन आवेदक के नाम से नामांतरण की स्वीकृति की अनुशंसा किया जाता है। पुनः अंचल निरीक्षक के द्वारा दिनांक–15.03.2017 को हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन जमाबंदी से मिलान कर विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र से क्रेता की गई भूमि को पुनः बिना नामांतरण कराये आवेदक को बिक्री किया है। आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः आवेदक के नाम पर नामांतरण स्वीकृत किया जा सकता है। विपक्षी की ओर से दिनांक–01.09.2017 को शपथ पत्र द्वारा शपथ किया है कि हमलोग मौजा–शोभानपुर (गंगा प्रसाद) के अन्तर्गत ज0नं0–469 प्राइवेट दाग नं0–134, कुल रकवा–03–00–08 धुर जमीन हमलोग शपथकर्त्ता भरत यादव, रामजी यादव, दिलीप यादव तीनों का पिता–स्व0 प्रयाग गोप एवं शपथकर्त्ता रामविलास यादव, रामप्रवेश यादव दोनों का पिता–स्व0 अयोध्या गोप ने निबंधित विक्रय केवाला सं0– 3800 वर्ष 1959 के द्वारा पशुपति गोप के नाम से विक्रय कर दिये है। उपरोक्त विक्रय की गई जमीन पशुपति गोप के दखल कब्जे में थी तथा उनके मृत्यु के पश्चात् उनके एक मात्र पुत्र संजय कुमार यादव के दखल कब्जा में है। जिसपर इनका पूर्ण स्वामित्व है। अतः उपरोक्त जमीन का नामांतरण श्री संजय कुमार यादव के नाम से कर दिया जाय। इसमें हमलोगो का या हमलोगो के किसी भी वारिशान को कोई आपत्ति नही है। और न भविष्य में होगी। अतः उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं के सुनने के पश्चात् अंचल, साहेबगंज के अभिलेख का शीर्ष का अवलोकन करने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अध्यनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचलाधिकारी साहेबगंज द्वारा किये मुटेशन वाद सं0–671/16–17 को अस्वीकृत करने में मैं सहमत नहीं हूँ। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए इस मुटेशन वाद सं0–08/17–18 (संजय कुमार यादव–बनाम– भरत यादव) को स्वीकृत किया जाता है। विपक्षी चाहे तो सक्षम न्यायालय में इस वाद के	

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
	विरूद्व अपील दायर कर सकते है। यह आदेश उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को दिखायें। आदेश की प्रतिलिपि के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अंचलाधिकारी, साहेबगंज को वापस करें। अभिलेख की कार्रवाई बन्द (समाप्त) की जाती है।	

लेखापित एवं संशोधित।

18/6/21
उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

18/6/21
उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

ज्ञापांक- 09 / डी0 बी0, साहेबगंज, दिनांक 18.06.21

प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :-

① अंतिम आदेश की प्रतिलिपि 02 पन्ने में।

② नामान्तरण वाद सं0- 671/2016-17 (संजय कुमार यादव - बनाम - भरत यादव वगैरह) मूल अभिलेख, कुल- 17 (सत्रह) पन्ने में।

18/6/21
उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार,
साहेबगंज।

Sutuhu
18.06.21

Digitally signed by JAY BARDHAN KUMAR
Date: 2023.06.12 17:46:14 +05:30
Location: 192.168.29.187